बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक–15 / डी 1–13 / 2011–........... /   पटना, दिनांक..................

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार ,पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

(द्वारा वित्त विभाग)

विषयः राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई राहत के मद में 45% प्रतिशत बकाये का भुगतान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 237,60,68,021 / – (दो सौ सैंतीस करोड साठ लाख अड़सठ हजार इक्कतीस ,रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा रूपये 126,65,73,537 / – (एक सौ छब्बीस करोड़ पैसठ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ सैंतीस) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–1674, दिनांक 16.08.2012 के द्वारा विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा उपदान के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है। तदनुसार राज्य सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई राहत के बकाये मद में 45% प्रतिशत का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 करने के निमित्त रूपये 237,60,68,021 / – (दो सौ सैंतीस करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार इक्कतीस रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा रूपये 126,65,73,537 / – (एक सौ छब्बीस करोड़ पैसठ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ सैंतीस) मात्र का पुनर्विनियोग करने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की है :–

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय का नाम	पेंशनान्तर, उपादान एवं अर्जित अवकाश के नगदीकरण मद में कुल भुगतेय राशि	वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि (कुल राशि का 40 प्रतिशत)
1	2	3	4
1	पटना वि0वि0	405519205	18,24,83,642
2	मगध वि0वि0	1401787753	63,08,04,488
3	बी0आर0बी0ए0 बिहार वि0वि0	753659437	33,91,46,746
4	जे0पी0 वि0वि0	274109403	12,33,49,231
5	बी0के0एस0 वि0वि0	433184295	19,49,32,932
6	बी0एन0 मंडल वि0वि0	292337719	13,15,51,973
7	तिलका माझी वि0वि0	717246716	32,27,61,022
8	ललित नारायण मिथिला	929028850	41,80,62,982
9	के0एस0डी0एस0 वि0वि0	73277789	3,29,75,005
	कुल राशि	5280151167 (पाँच सौ अठाईस करोड़ एक लाख एकावन हजार एक सौ सड़सठ रूपए)	2376068021 (दो सौ सैंतीस करोड़ सात लाख अड़सठ हजार इक्कीस) रूपये

उपर्युक्त स्तम्भ–4 में विश्वविद्यालयवार स्वीकृत राशि के अनुसार पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बी0आर0ए0बी0यू0, जे0पी0यू0, बी0एन0एम0यू0, टी0एम0बी0यू0 एल0एन0एम0यू0 , एवं के0एस0डी0एस0यू0 के लिए विषय शीर्ष 3106–सहायक अनुदान–'वेतनादि के अलावा' मद में पर्याप्त अवशेष राशि उपलब्ध नहीं है। अतः आवश्यकतानुसार मगध विश्वविद्यालय से रूपये 66,65,73,537/– (छियासठ करोड़ पैसठ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ सैंतीस) तथा एल0एन0एम0यू0 से रूपये 60,00,00,000/–(साठ करोड) अर्थात् कुल रूपये 126,65,73,537/– (एक सौ छब्बीस करोड़ पैसठ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ सैंतीस) मात्र की व्यवस्था विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान–'वेतन' मद में बचत की राशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से की गई है। पुनर्विनियोग तालिका संलग्न है।

2. स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट शीर्ष– "2202–सामान्य शिक्षा–उप मुख्य शीर्ष–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता–माँगसंख्या–21,उपशीर्ष–0001–पटना विश्वविद्यालय विपत्र कोड–N2202031020001– विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान–'वेतनादि के अलावा' उपशीर्ष –0002–मगध विश्वविद्यालय विपत्र कोड–N2202031020002 – विषय शीर्ष–3106 सहायक अनुदान–'वेतनादि के अलावा' उपशीर्ष–0003–बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर (बिहार विश्वविद्यालय) विपत्र कोड–N2202031020003–विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान–'वेतनादि के अलावा'– उपशीर्ष–0004–जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा विपत्र कोड– N2202031020004–विषय शीर्ष 3106 'सहायक अनुदान–'वेतनादि के अलावा'– उपशीर्ष–0005–वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा विपत्र कोड–N2202031020005–विषय शीर्ष–3106 सहायक अनुदान–'वेतनादि के अलावा' उपशीर्ष–0008–बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा विपत्र कोड–N2202031020008–विषय शीर्ष–3106 सहायक अनुदान–'वेतनादि के अलावा' उपशीर्ष–0009–भागलपुर विश्वविद्यालय विपत्र कोड–N2202031020009–विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान–'वेतनादि के अलावा' उपशीर्ष 0011–ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय विपत्र कोड–N2202031020011–विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान–'वेतनादि के अलावा' उपशीर्ष–0012–कामेश्वर सिंह दरभंगा

संस्कृत विश्वविद्यालय विपत्र कोड–N2202031020012–विषय शीर्ष–3106–सहायेक अनुदान–'वेतनादि के अलावा' के अन्तर्गत होगा।

3. वर्तमान में स्वीकृत राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के वैसे शिक्षकों/शिक्षकेतर पदाधिकारियों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को पेंशनादि का भुगतान किया जायेगा, जो स्वीकृत पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए हैं। बकायें पेंशनादि की राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तों एवं बंधेजों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा :–

(i) पेंशनादि की राशि का भुगतान वैसे ही शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए हैं तथा जिनके वेतन निर्धारण का सत्यापन शिक्षा विभाग के अधीन गठित वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा किया जा चुका है।

(ii) स्वीकृत राशि से जिन शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों को भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उप धारा–(2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है।

(iii) शिक्षकों के पेंशनादि का भुगतान राज्य सरकार के पत्र–2374 दिनांक–29.07.2010 की कंडिका–1(10), 2(10) तथा संकल्प के एपेन्डिक्स–1 की उप–कंडिका–(ii) में अंकित निदेशों एवं शर्त्तों के आधार पर किया जायेगा।

(iv) शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण विभगीय संकल्प संख्या–2693, दिनांक–27.08.2010 द्वारा किया गया है। विश्वविद्यालय के संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान् की शर्त्तों एवं बंधेजों के अनुरूप किया गया है।

(v) विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बने परिनियमों एवं राज्य सरकार के निर्देशों एवं न्यायादेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वॉछित अर्हता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

(vi) तत्काल चतुर्थ चरण में नव अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के अनुपालन में मात्र वैसे शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों के पेंशनादि के बकाया का भुगतान किया जायगा जो माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के प्रतिवेदन एवं सिविल अपील सं0 6098/97 में पारित आदेश के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत पदों या दिनांक 30.04.1986 तक अनुशंसित पद के विरूद्ध हों।

(vii) स्वीकृत राशि का भुगतान विश्वविद्यालय स्तर पर किये जाने के समय माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 5859/1996 में दिनांक 21.02.2000 तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 9839/2001 में दिनांक 16.10.2001 को पारित न्याय निर्णय, जिसे

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किया जा चुका है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस क्रम में विभागीय स्तर से निर्गत पत्र संख्या 2086 दिनांक 09.11.2012 में अंकित निदेशों का अनुपालन किया जाएगा।

(VIII) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा–(2) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक कोटि में माना जाना है जो, दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.9.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थें।

(IX) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में पेंशनादि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(X) राज्य सरकार ने हड़ताल की अवधि की अनुपस्थिति को विनियमित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 508 दिनांक 01.03.2012 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के संदर्भ में पूर्व में लिए गए निर्णय "काम नही तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त को अक्षुण्ण रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति को भी असाधारण "अवैतनिक" अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय संसूचित किया है। अतः राज्य सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में शिक्षकों की किसी प्रकार की हड़ताल अवधि के बकाये का भुगतान स्वीकृत राशि से नहीं किया जायेगा।

(XI) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जायेगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा–35(3) तथा 52(3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–35(3) एवं 52(6) के अन्तर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई की जायेगी एवं उनके विरूद्ध न केवल प्रशासनिक कारवाई बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

4. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालयों बी0टी0सी0 फार्म 42A में अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ विभाग को प्रस्तुत करना पड़ेगा। उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित प्राप्त के बाद ही आगे की राशि स्वीकृत एवं विमुक्त की जा सकेगी।

5. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग एवं राज्य सरकार के वित्त(अंकेक्षण) विभाग को इस स्वीकृत राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–7355(2) दिनांक–05.10.2007 तथा महालेखाकार(लेखा एवं हक0) के पत्रांक–टी0एम0 11–877–907 दिनांक–08.11.2007 के आलोक में रूपये 237,60,68,021/–(दो सौ सैंतीस करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार इक्कतीस रूपये) मात्र की निकासी इस स्वीकृत्यादेश के आधार पर विकास भवन अवस्थित सचिवालय कोषागार से होगी तथा उसी कोषागार स्थित विश्वविद्यालय शिक्षा कोष नामक पी0एल0 खाता शीर्ष–8448–स्थानीय निधियॉ की जमा(प्राप्तियॉ)–110–शिक्षा निधियॉ विपत्र कोड के0–8448001100001 में जमा की जायेगी। तत्पश्चात्, निदेशक, उच्च शिक्षा के आदेशानुसार स्वीकृत राशि की विमुक्ति की जाएगी तथा संबंधित विश्वविद्यालय को सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के पेंशनादि के अन्तर राशि के भुगतान हेतु राशि ई–ट्रांसफर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

7. इस राशि की निकासी पटना सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना से आबंटन आदेश निर्गत किये जाने के पश्चात् होगी। इस राशि की निकासी कर संबंधित विश्वविद्यालयों को इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने हेतु अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

8. स्वीकृत की गई राशि से उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मियों को भुगतान होगा, जिनके वेतन निर्धारण का सत्यापन इस उद्देश्य से गठित वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा किया जा चुका है।

9. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार को सूचित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–15/डी 1–13/2011 उ0शि0 67 पटना, दिनांक 18/2/15

प्रतिलिपिः–(अनुलग्नक की प्रति सहित) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/कुलसचिव एवं वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/आय–व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी–09, वित्त विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बेली रोड, पटना/सभी उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सम्पर्क पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14 एवं 15 तथा सभी सहायक तथा लेखापाल, शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/2/15

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

Pramod
16/2/15